छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, डी.के.एस.भवन, रायपुर

कमांक – एफ–5–4 / 18 / 2006 रायपुर, दिनांक 30/01/2006

प्रति,

1. **समस्त कलेक्टर एवं**
   अध्यक्ष (डूडा), छत्तीसगढ़
2. **समस्त आयुक्त,**
   नगर पालिका निगम, छत्तीसगढ़
3. **समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,**
   नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत, छत्तीसगढ़

विषय :– राज्य प्रवर्तित योजना के अंतर्गत मुक्तिधाम निर्माण योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश।

राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की जा रही उपरोक्त राज्य प्रवर्तित योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। कृपया दिशा निर्देशों का अध्ययन कर योजनाओं का क्रियान्वयन तत्काल प्रारंभ करें।

2. राज्य शासन द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय के अंतर्गत एक मुक्तिधाम निर्माण का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया है ।

3. उक्त लक्ष्य अनुसार निर्माण कार्य **31 दिसम्बर 2006** तक पूर्ण कराया जाये। इन कार्यो के लिए प्रथम किस्त राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा तत्काल अवमुक्त किया जा रहा है। द्वितीय किस्त वर्ष 2006–07 में अवमुक्त किया जावेगा।

4. कृपया योजना की उपयोगिता को देखते हुए दिनांक **31 दिसम्बर 2006 तक** अनिवार्यतः पूर्ण करावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

30/1/06
(अजय सिंह)
सचिव
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

Shukla-L-2006-51

पृ. कमांक एफ–5–4/18/2006 रायपुर, दिनांक 30/01/2006

प्रतिलिपि :--

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ शासन,
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, रायपुर छत्तीसगढ़ एवं
4. आयुक्त, जन–संपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन को सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़
6. उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर/बिलासपुर संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. अनुभाग अधिकारी, नगरीय प्रशासन एवं विकास को गार्ड फाईल में रखे जाने हेतु।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

Lpanigrahi 30.1.06

(एल.के.पाणिग्रही)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

" मुक्तिधाम निर्माण योजना"

दिशा–निर्देश

1 नाम एवं विस्तार :–

इस योजना का नाम **'मुक्तिधाम निर्माण योजना'** होगा तथा यह प्रदेश की समस्त नगरीय निकायो में वर्ष 2005–2006 से लागू होगी । यह योजना प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मृतकों की अन्त्येष्ठि के लिए नई सुविधाओं के निर्माण की योजना है। यह योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू होगी।

2. नगरों में विद्यमान मुक्तिधाम में सुधार/उन्नयन और विस्तार के लिए नगरीय निकायों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर परीक्षण के उपरांत अनुदान की स्वीकृति दी जा सकेगी।

2 उद्देश्य :–

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 66 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 123 के अंतर्गत मृतकों की अन्त्येष्ठि के लिए स्थान का अर्जन, विकास और विनियमन करना नगरीय निकायों के अनिवार्य दायित्वों में से एक है। नगरों में पूर्व–स्थापित सुविधाएं, अतिकमण, अनियंत्रित बसाहट एवं बस्तियों के विस्तार के कारण रिहायशी क्षेत्रों के अंतर्गत आ गयीं हैं। ऐसी सुविधाओं का निर्माण तथा संधारण, समान्यतः सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जाता रहा है । सीमित वित्तीय संसाधनों तथा रख–रखाव के अभाव मे विद्यमान स्थान जीर्णावस्था में है और नये स्थानों में सुविधा स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा मुक्तिधाम निर्माण योजना प्रारंभ की गई है।

3. योजना का स्वरूप एवं कियान्वयन :–

यह योजना प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में लागू होगी तथा इसका कियान्वयन नगरीय निकाय के द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर (अध्यक्ष,डूडा) के मार्गदर्शन में किया जावेगा। प्रदेश स्तर पर इस योजना के कियान्वयन के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक मुक्तिधाम हेतु

अधिकतम परियोजना लागत नगर निगम के मामले में रू. बारह लाख, नगर पालिका के लिए दस लाख, नगर पंचायत के लिए आठ लाख रूपये होगी।

निम्नांकित कार्य, वित्तीय स्वीकृति की सीमा में योजना के अंतर्गत लिये जा सकेंगे :—

1. योजनांतर्गत आवश्यकता अनुसार क्रिमेशन शेड, कव्हर्ड आर.सी.सी.शेड, बरियल ग्राउंड का विकास, स्टोरेज एरिया का निर्माण आदि कार्य ।
2. उद्यान, पेयजल, विद्युतीकरण, शौचालय, चौकीदार कमरा का निर्माण ।
3. वाहन हेतु पार्किंग की व्यवस्था का निर्माण।
4. क्रिमेशन शेड के चारों तरफ पेवींग का कार्य ।

4. वित्तीय व्यवस्था :—

योजना की सम्पूर्ण राशि दो किस्तों में नगरीय निकायों को जारी की जावेगी। दूसरी किस्त की राशि देने से पूर्व अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि नगरीय निकाय द्वारा प्रथम किस्त की राशि व्यय कर ली गई है और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, तदोपरांत दूसरी किस्त की राशि जारी की जावेगी ।

5. प्रक्रिया एवं अनुश्रवण :

इस योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य स्वीकृत ड्राइंग व डिजाइन के अनुसार किया जावेगा । तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा अनुमोदित आदर्श प्राक्कलन संलग्न किया जा रहा है। प्रत्येक स्थल मे विनिर्ष्दिट विशेषताओं के अनुरूप स्वीकृत वित्तीय सीमा के भीतर प्राक्कलन में आवश्यक संशोधन किया जावे।

6. योजना के लिए भूमि की व्यवस्था :—

योजना के लिए निर्मित किए जाने वाले मुक्तिधाम के लिए उपयुक्त भूमि का चयन, आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा किया जावेगा तथा आवश्यकता होने पर भूमि प्राप्त करने में जिला कलेक्टर (अध्यक्ष,डूडा) से सहयोग प्राप्त किया जावेगा ।

7. निर्माण के उपरांत रख–रखाव :–

निमार्ण के उपरांत मुक्तिधाम स्थल के उचित रख–रखाव हेतु एक पांच सदस्यीय समिति का गठन महापौर/अध्यक्ष द्वारा की जा सकेगी । इस समिति में आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं निकाय के अभियंता स्थायी सदस्य हो सकते है । निकाय द्वारा मुक्तिधाम संधारण की कार्यवाही स्वयं की निधि से की जावेगी तथा इसके रख–रखाव के लिये जनभागीदारी प्राप्त की जा सकेगी ।

8. लेखा संधारण :–

योजना के लिए आवश्यक धनराशि **नगर विकास निधि** से उपलब्ध कराई जावेगी। राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार लेखाओं का संधारण संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जावेगा। साथ ही निर्धारित प्रपत्र में भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र, राज्य शहरी विकास अभिकरण को प्रस्तुत किया जावेगा जिसके आधार पर आगामी किस्तों के निर्गमन की कार्यवाही की जावेगी ।

इस योजना के लिए शासन द्वारा विमुक्त की गई राशि नगरीय निकायों द्वारा बैंक में पृथक खाता खोलकर रखी जावेगी तथा केवल इसी योजना के लिए उपयोग में लायी जावेगी। उक्त खाता में प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि भी इस योजना का भाग माना जाएगा ।

संलग्न : आदर्श प्राक्कलन एवं ड्राईग

30.1.10

(एल.के.पाणिग्रही)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग